सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 154 राँची, गुरुवार

21 फाल्गुन, 1936 (श०)

12 मार्च, 2015 (ई०)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

संकल्प

11 मार्च, 2015

विषय:- मेसर्स एच.ई.सी. लिमिटेड द्वारा झारखण्ड सरकार को वापस की जाने वाली कुल 2342 एकड़ भूमि में से 2035.14 एकड़ अतिक्रमण रहित अनुपयोगित भूमि के "Deed of Conveyance-As Relinquishment" को निबंधन कराने के एवज में लगने वाले निबंधन शुल्क को माफ करने के संबंध में ।

संख्या- -10/डी.एल.ए. विविध राँची-22/06 (खण्ड)-55/रा./रा -- मेसर्स एच.ई.सी. को "Deed of Conveyance-As Relinquishment" के माध्यम से लगभग 7198.73 एकड़ जमीन दी गई थी, उनमें से अतिक्रमण रहित अनुपयोगित भूमि कुल रकबा 2035.14 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा दिनांक-13.02.2009 को परामर्शी परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सर्वश्री भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, राँची को पुनर्वास पैकेज के परिप्रेक्ष्य में 2035.14 एकड़ अतिक्रमण रहित भूमि राज्य सरकार को वापस किया गया है । तथा उक्त भूमि राज्य सरकार के प्रभार में है ।

मेसर्स एच.ई.सी. से कुल रकवा 2035.14 एकड़ अनुपयोगित भूमि राज्य सरकार द्वारा वापस लिये गये जमीन पर हकीयत एवं स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए "Deed of Conveyance-As Relinquishment" आवश्यक है। इस संदर्भ में विधि विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि प्रस्तावित "Deed of Conveyance-As Relinquishment" को निबंधित कराया जाना आवश्यक है । चूँकि उक्त भूमि का स्वामित्व एवं हकीयत राज्य सरकार में निहित होगी ऐसी स्थिति में Indian Stampt Act, 1899 के अध्याय-II की धारा-3 के आलोक में प्रस्तावित "Deed of Conveyance-As Relinquishment" का निबंधन कराये जाने पर लगने वाले निबंधन शुल्क का वहन क्रेता द्वारा किया जाना है । इस प्रकार सरकार को वापस की जाने वाली कुल 2342 एकड़ भूमि में से 2035.14 एकड़ अतिक्रमण रहित भूमि का "Deed of Conveyance-As Relinquishment" के क्रियान्वयन के पश्चात उसके निबंधन कराने पर लगने वाले निबंधन शुल्क का वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा ।

2. इस प्रसंग में दिनांक 10 मार्च, 2015 को मंत्रिपरिषद की बैठक की मद संख्या-07 में लिये गये निर्णय के आलोक में मेसर्स एच.ई.सी. लिमिटेड द्वारा झारखण्ड सरकार को वापस की जाने वाली कुल 2342 एकड़ भूमि में से 2035.14 एकड़ अतिक्रमण रहित अनुपयोगित भूमि का "Deed of Conveyance-As Relinquishment" के क्रियान्वयन के पश्चात् उसके निबंधन कराने के एवज में लगने वाले निबंधन शुल्क को माफ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 154—50 ।